कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.12.2024

विषय:- गहना नया जैसे करने के बहाने महिलाओं से टप्पेबाजी करने वाले 02 नफर अभियुक्त थाना शिवपुर पुलिस द्वारा माल समेत गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा चोरी/लूट/छिनैती/टप्पेबाजी की घटनाओं के अनावरण तथा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 191/2024 धारा 316(2)/318(3) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण 1. साजन कुमार पुत्र लड्डू साह निवासी ग्राम जमुनिया थाना प्रभत्ता जनपद भागलपुर बिहार 2. कवि रोशन कुमार पुत्र राम चन्द्र मण्डल निवासी दीरा चान्दपुर थाना फल्का जनपद कटिहार बिहार को तरना पुल के नीचे से दिनांक 22.12.24 समय करीब 22.30 बजे गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से एक अदद माचिस की डिब्बी मय एक अदद मंगलसूत्र व एक अदद चैन पीली धातु, एक अदद पारदर्शी डिब्बा मय सात पुडिया सफेद पाउडर , दो अदद डिब्बा उजाला साइन पाउडर , दो अदद विजिटिंग कार्ड, एक अदद लकडी का ब्रश , एक अदद ब्राउन कलर बैग बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना शिवपुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 21.12.2024 को वादी मुकदमा ने 02 अज्ञात लड़कों द्वारा खुद को कम्पनी का प्रचारक बताते हुए पुराने गहने को नया जैसा करने की बात बताकर अपने विश्वास में लेते हुए स्वयं की माता जी एवं पत्नी का क्रमशः 1 अदद मंगलसूत्र व 1 अदद चैन छलपूर्वक लेकर फरार हो जाने के सम्बन्ध में लिखित प्रा.पत्र दिया जिसके आधार पर थाना शिवपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ.नि. मो. परवेज द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि दो दिन पहले नारायणपुर मे अपने आपको उजाला कम्पनी का कर्मचारी बताकर पीतल ,तांबे, चादीं व सोने के गहने को साफ सफाई करके नये जैसा करने के बहाने घर मे घुस गये थे वहां घर में दो महिलाए थी जिनसे गहना साफ करने के बहाने हम दोनों एक मंगल सूत्र व एक चैन बेवकूफ बनाकर छल करके लेकर भाग गये थे। इस गहने को बेचने के फिराक मे ही थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया। ब्राउन कलर के बैग से बरामद अन्य सामानों के बारे मे पूछा गया तो बताया कि हम लोग इन्ही सामानों के जरिये खुद को उजाला कम्पनी का कर्मचारी बताकर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका गहना लेकर भाग जाते है।

बरामदगी का विवरण-

एक अदद मंगलसूत्र व एक अदद चैन पीली धातु, एक अदद माचिस की डिब्बी, एक अदद पारदर्शी डिब्बा मय सात पुडिया सफेद पाउडर , दो अदद डिब्बा उजाला साइन पाउडर , दो अदद विजिटिंग कार्ड, एक अदद लकडी का ब्रश , एक अदद ब्राउन कलर बैग बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. साजन कुमार पुत्र लड्डू साह निवासी ग्राम जमुनिया थाना प्रभत्ता जनपद भागलपुर बिहार उम्र करीब 26 वर्ष।
2. कवि रोशन कुमार पुत्र राम चन्द्र मण्डल निवासी दीरा चान्दपुर थाना फल्का जनपद कटिहार बिहार उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

तरना पुल के नीचे से दिनांक 22.12.24 समय करीब 22.30 बजे।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

1- मु0अ0स0 591//24 धारा 316(2)/318(3)/317(2) बीएनएस थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 मोहम्मद परवेज, उ0नि0 गौरव सिंह, का0 आलोक शर्मा, का0 अश्वनी आर्या,का0 बालमुकुन्द मौर्या थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।